

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-07.03.2024 को 12.30 बजे अपराह्न में आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उपस्थिति :- यथा पंजी के अनुरूप।

1. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक-09.02.2024 को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा चुका है।
2. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट हेतु कुल 15 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन नक्शा, रूट की विवरणी एवं आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:-

दिनांक-07.03.2024 की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन (स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त आवेदन

कार्यवाही संख्या - 01

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मॉडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सुधीर कुमार पिता -श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नावकोठी, जिला-बेगूसराय।	BR9D-2005 BUS (2006) 25 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 शकरपुरा से बेगूसराय भाया- बखरी, मंझौल ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-30.04.24 फिटनेश-02.04.24 बीमा-07.02.25 प्रदूषण-30.07.24	आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR7P-4113 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बखरी 08.09 08.14 मंझौल 08.50 08.55 आवेदनकर्ता के द्वारा बखरी में प्रस्थान समय 08.09 दिया गया है जबकि मेरा प्रस्थान समय 08.14 है, बखरी मेरा मुख्य बिन्दु है और आवेदक भी बखरी से ही वाहन का परिचालन करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए मार्ग शकरपुर मुख् बिन्दु दिये हैं। जो करीब 3-4 किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्र है। आवेदनकर्ता का मार्ग शकरपुरा से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।	बखरी एवं मंझौल मध्य बिन्दु है जहाँ प्राधिकार के निर्णयानुसार पाँच मिनट का अन्तराल है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत।
2	श्रीमती संध्या कुमारी पति -श्री मनीष कुमार सिंह पता-गोरगामा, नयागांव जिला-बेगूसराय।	BR06PF-1247 BUS (2021) 35 seat मानदंड BS-VI	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय भाया- भागलपुर जीरो, नौगछिया जीरो, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूट, मानसी, खगडिया, बलिया। ट्रिप-02	टैक्स-17.03.24 फिटनेश-25.04.25 बीमा-14.03.24 प्रदूषण-28.03.24	1. आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार वाहन सं०-BR09PA-6805 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता पसराहा 16.12 16.15 आवेदनकर्ता भागलपुर जीरोमाईल से 07.55 में प्रस्थान कर नौगछिया जीरोमाईल 07.45 में आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल की 17 किलोमीटर की दूरी 25	प्रथम आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार के समय सारणी में मध्य बिन्दु पसराहा में टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन सं० BR09PA-6807 की परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतएव द्वितीय आपत्तिकर्ता का आपत्ति मान्य नहीं है।

11.03.24

		(01 अप 01 डाउन)		<p>मिनट में तय करते हैं। पुनः आवेदनकर्ता नौगछिया जीरोमाईल 17.08 में प्रस्थान कर भागलपुर जीरोमाईल 17.28 में आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता 17 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करते हैं। नौगछिया जीरोमाईल तथा भागलपुर जीरोमाईल के बीच गंगा नदी पर पुल है। आवेदनकर्ता गति सीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं। पसराहा में दोनों वाहनों का समय सारणी में मात्र तीन मिनट का अन्तराल है।</p> <p>2. आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वाहन सं0-BR09PA-6807 का कहना है कि उक्त निजी बसों का परमिट निर्गत हेतु निजी वाहन स्वामी के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसका समय सारणी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निबंधित वाहनों के समय सारणी से टकरावपूर्ण है, जो निगमहित में उचित प्रतीत नहीं है। विदित हो कि दिनांक-09.02.2024 को भी प्राधिकार के बैठक में निगम द्वारा इन गाड़ियों के समय सारणी पर आपत्ति दर्ज कराया गया था। जिसमें प्राधिकार द्वारा इन्हें नए समय सारणी को संशोधन करते हुए आवेदन करने का आदेश दिया गया था वर्तमान में प्रारंभिक बिन्दू पर 05 मिनट पहले और अन्य पड़ावों पर 1 से 2 मिनट का अंतराल है।</p> <p>आवेदनकर्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।</p>	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता के टकराव बिन्दु पसराहा में संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु आवेदनकर्ता को एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p>																
<p>3 श्रीमती बुलबुल देवी पति -श्री विनीत कुमार पता-पहसारा, नावकोठी, जिला-बेगूसराय।</p>	<p>BR09H-3327 BUS (2010) 41 seat मानदंड BS-II</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3171 बरौनी जंक्शन से बरखरी भाया- बेगूसराय, मंझौल, पहसारा। ट्रिप-08 (04 अप 04 डाउन)</p>	<p>टैक्स-18.03.24 फिटनेश-07.01.25 बीमा-06.09.24 प्रदूषण-02.09.24</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0- BR7P-4113 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 05.26</td> <td>05.31</td> </tr> <tr> <td>मंझौल 06.10</td> <td>06.15</td> </tr> <tr> <td>पहसारा 06.18</td> <td>06.23</td> </tr> <tr> <td>मंझौल 18.55</td> <td>18.58</td> </tr> </table> <p>आवेदनकर्ता मंझौल से बेगूसराय 17 किलोमीटर की दूरी भी मात्र 5 मिनट में तय कर 19.00 बजे बेगूसराय आगमन करते हैं।</p> <p>2. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0- BR06PC-9933 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 20.10</td> <td>20.15</td> </tr> <tr> <td>मंझौल 20.45</td> <td>20.50</td> </tr> </table> <p>आवेदनकर्ता बेगूसराय से 5 मिनट आगे चलकर आगे पड़ाव पर 10 मिनट पहले पहुँचने एवं खुलने का प्रस्ताव दिये है। 17 किलोमीटर की दूरी भी मात्र 5 मिनट में तय करते</p>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 05.26	05.31	मंझौल 06.10	06.15	पहसारा 06.18	06.23	मंझौल 18.55	18.58	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 20.10	20.15	मंझौल 20.45	20.50	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता के समय सारणी में मध्य बिन्दु मंझौल पर छठी पाली में टकराव है तथा मंझौल से बेगूसराय जाने में गति सीमा का उल्लंघन है। आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि पॉचवी एवं छठी पाली को छोड़कर परमिट आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। यदि आवेदनकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया जाता है तो पॉचवी एवं छठी पाली को छोड़कर परमिट आवेदन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।</p>
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																				
बेगूसराय 05.26	05.31																				
मंझौल 06.10	06.15																				
पहसारा 06.18	06.23																				
मंझौल 18.55	18.58																				
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																				
बेगूसराय 20.10	20.15																				
मंझौल 20.45	20.50																				

11.03.24

					<p>है।</p> <p>3. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR01PF-4872 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 09.38</td> <td>09.43</td> </tr> <tr> <td>मंझौल 10.22</td> <td>10.27</td> </tr> <tr> <td>पहसारा 10.30</td> <td>10.35</td> </tr> </table> <p>आवेदनकर्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है। प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है। द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग शहरबन्नी से बखरी है एवं तृतीय आपत्तिकर्ता बेगूसराय से बखरी है।</p>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 09.38	09.43	मंझौल 10.22	10.27	पहसारा 10.30	10.35					
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बेगूसराय 09.38	09.43																	
मंझौल 10.22	10.27																	
पहसारा 10.30	10.35																	
4	<p>श्री विनीत कुमार पिता -श्री रामनंदन सिंह</p> <p>पता-पहसारा, नावकोठी, जिला-बेगूसराय।</p>	<p>BR09PA-8534</p> <p>BUS (2023)</p> <p>41 seat</p> <p>मानदंड BS-VI</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24</p> <p>अधिसूचित मार्ग संख्या-3171</p> <p>बरौनी जंक्शन से बखरी</p> <p>भाया- बेगूसराय, मंझौल, पहसारा।</p> <p>ट्रिप-08 (04 अप 04 डाउन)</p>	<p>टैक्स-18.03.24</p> <p>फिटनेश-18.09.25</p> <p>बीमा-21.02.25</p> <p>प्रदूषण-नई वाहन</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR43P-1809 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 19.55</td> <td>20.00</td> </tr> </table> <p>2. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR7P-4113 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 14.35</td> <td>14.40</td> </tr> </table> <p>3. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-BR06PC-9933 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है -</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 09.25</td> <td>09.30</td> </tr> </table> <p>आवेदनकर्ता का मार्ग बरौनी जंक्शन से बखरी है। प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है। तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग शहरबन्नी से बेगूसराय है।</p>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 19.55	20.00	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 14.35	14.40	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 09.25	09.30	<p>तीनों आपत्तिकर्ता के समय सारणी में टकराव नहीं होने के कारण परमिट आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत कि आवेदनकर्ता इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि वे अपने वाहन का परिचालन बरौनी जंक्शन से ही करेंगे। यदि उनके द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो परमिट रद्द कर दिया जायेगा। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।</p>
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बेगूसराय 19.55	20.00																	
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बेगूसराय 14.35	14.40																	
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बेगूसराय 09.25	09.30																	
5	<p>मो० आबिद हुसैन पिता- मल्लिक युनुस</p> <p>पता- कैथा, थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई</p>	<p>BR27C-1993</p> <p>BUS (2013)</p> <p>41 seat</p> <p>मानदंड BS-III</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24</p> <p>अधिसूचित मार्ग संख्या-168</p> <p>शेखपुरा दल्लू चौक से पकरीबराबा</p> <p>भाया- महुली चौक, धमौल, आढा मोड।</p> <p>ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)</p>	<p>टैक्स-22.05.24</p> <p>फिटनेश-26.07.24</p> <p>बीमा-20.07.24</p> <p>प्रदूषण-23.09.24</p>	<p>अप्राप्त</p>													
6	<p>श्री संजय कुमार सिंह पिता -श्री अम्बिका सिंह</p> <p>पता-महरथ, पोस्ट-वाजिदपुर थाना-काशीचक जिला-नवादा।</p>	<p>BR27-7486</p> <p>BUS (2009)</p> <p>41 seat</p> <p>मानदंड BS-II</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24</p> <p>अधिसूचित मार्ग संख्या-1524</p> <p>वारिसलीगंज से बरबीघा</p> <p>भाया- शाहपुर मोड, शेखोपुर।</p> <p>ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)</p>	<p>टैक्स-30.04.24</p> <p>फिटनेश-03.11.24</p> <p>बीमा-10.04.24</p> <p>प्रदूषण-18.07.24</p>	<p>अप्राप्त</p>	<p>समय सारणी पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है परन्तु वाहन की आयु 15 वर्ष से कुछ माह ही कम है। अतएव वाहन की 15 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से कराने का शपथ पत्र समर्पित करने की शर्त पर परमिट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।</p>												

7	श्री प्रभाष कुमार सिंह पिता - स्व० लखन प्रसाद सिंह पता-हँसडीह, थाना-जमुई जिला-जमुई।	BR46P-5739 BUS (2024) 43 seat मानदंड BS- VI	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3075 मल्लेपुर स्टेशन से नवादा भाया- जमुई मसौढी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, आढा पकरीबराबां ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-16.04.24 फिटनेश-18.01.26 बीमा-16.01.25 प्रदूषण-नई वाहन	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह वाहन सं०-BR46A-6281 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता मल्लेपुर स्टेशन 14.30 14.30</p> <p>2. आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं०-BR52P-4953 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता अलीगंज 06.42 06.45 आढा 10.35 10.35 अलीगंज में तीन मिनट का अन्तराल एवं आढा में सेम समय सारणी जो कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार गलत है।</p> <p>3. आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं०-BR27C-4953 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता अलीगंज 10.17 10.20 आढा 16.18 16.20 अलीगंज में तीन मिनट का अन्तराल एवं आढा में 2 मिनट का अन्तराल जो कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार गलत है।</p> <p>4. आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं०-BR46B-7776 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता सिकन्दरा 09.58 10.00 नवादा 11.38 11.40 पकरीबराबां 12.15 12.15 सिकन्दरा 13.08 13.12 नवादा मुख्य बिन्दू पर 2 मिनट, सिकन्दरा पर 2 मिनट, पकरीबराबां में सेम सारणी एवं सिकन्दरा में 2 मिनट का अन्तराल है।</p> <p>5. आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं०-BR25PA-1939 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता जमुई मसौढी 09.24 09.32 मुख्य बिन्दू पर आठ (8) मिनट का अन्तराल है। जो कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार गलत है।</p> <p>6. आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं०-BR27P-4953 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता</p>	सभी आपत्तिकर्ता के समय सारणी में टकराव के बिन्दुओं पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु आवेदनकर्ता को एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11.03.24

					नवादा 17.15 17.20 मुख्य बिन्दु पर पाँच (5) मिनट का अन्तराल है। जो कि प्राधिकार के निर्णय के अनुसार गलत है। आवदेनकर्ता का मार्ग मल्लेपुर स्टेशन से नवादा है। प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग जमुई रेलवे स्टेशन मल्लेपुर है। द्वितीय एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग नवादा से जमुई मसौड़ी चौक है। चतुर्थ एवं पंचम आपत्तिकर्ता का मार्ग नवादा से जमुई है। छठा आपत्तिकर्ता का मार्ग नवादा से सिकन्दरा है।	
8	श्री गोपाल कुमार पिता -श्री शिवशंकर सिंह, पता-बलिया जिला-बेगूसराय।	BR09R-6601 BUS (2015) 43 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन, भाया-बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखुंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरो, भागलपुर जीरो, ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-20.04.24 फिटनेश-23.04.25 बीमा-04.06.24 प्रदूषण-19.06.24	अप्राप्त	
9	मो0 एजाज अहमद पिता -मो0 मेराज उद्दीन पता-सिकन्दरा, पाण्डेय टोला, जिला-जमुई।	BR10W-6494 BUS (2016) 42 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-311 आढ़ा से मल्लेपुर स्टेशन भाया- चन्द्रदीप, अलीगंज, सिकंदरा, महिसौड़ी चौक। ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-07.03.24 फिटनेश-03.01.26 बीमा-27.04.24 प्रदूषण-25.11.24	आवदेनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग आढ़ा से मल्लेपुर स्टेशन है।	आपत्तिकर्ता श्री मुन्नीलाल साह वाहन सं0-BR46B-7765 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता मल्लेपुर रे0 स्टेशन 15.42 15.45 दोनों वाहन के समय सारणी में मुख्य बिन्दु पर मात्र तीन मिनट का अन्तराल है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं0 BR46B-7765 के परमिट आवेदन को दिनांक-09.02.2024 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदन के ऑनलाईन प्रविष्टि के समय परिचालन क्षेत्र मुंगेर के स्थान पर सम्पूर्ण बिहार की प्रविष्टि की गयी है, जिस कारणवश उनके समय सारणी में सभी स्थानों पर शून्य समय अंकित हो गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा कार्यालय में जो आवेदन जमा किया गया है उसमें जो समय सारणी समर्पित की गई है, उसकी स्वीकृति उक्त बैठक में प्रदान की गयी है। कार्यालय स्तर से ऑनलाईन प्रविष्टि को संशोधित करने का प्रयास किया गया परन्तु संशोधन नहीं हो पाया। आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एन0आई0सी0 से इसका संशोधन हो सकता है। अतएव इस संबंध में संशोधन हेतु एन0आई0सी0 से पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। एन0आई0सी0 के प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही आवेदनकर्ता मो0 एजाज अहमद के आवेदन पर विचार किया जायेगा।

11.02.24 5

15	श्री गौरव कुमार पिता- राजकुमार सिंह पता- डुमरावां, पो0-पकरीबराबां जिला-नवादा।	BR27P-9453 BUS (2011) 30 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162 नवादा से जमुई। भाया- पकरीबराबां, आढा, अलीगंज, सिकन्दरा। ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-07.05.24 फिटनेश-21.11.24 बीमा-13.11.24 प्रदूषण-13.11.24	1. आपत्तिकर्ता श्री निवास कुमार सिंह वाहन सं0-BR46B-7095 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आढा 07.30 07.30 आढा से आवेदनकर्ता और आपत्तिकर्ता दोनों वाहन का समय सारणी सेम है। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती रेणु देवी वाहन सं0-BR46-9841 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महिसौढी चौक 17.05 17.10 मुख्य बिन्दू पर दोनों वाहन के समय सारणी में मात्र 5 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता अलीगंज से आढा 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करते हैं। गति सीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता 09.02.2024 की बैठक में BR46A-8082 के आवेदनकर्ता राजीव कुमार पर अपने वाहन सं0 BR27P-9453 के परमिट से आपत्ति लगाये थे। आपत्तिकर्ता का परमिट फेल था आपत्तिकर्ता नवीकरण की बात कहकर आपत्ति लगाये। आवेदनकर्ता का मार्ग नवादा से जमुई है। आपत्तिकर्ता का मार्ग आढा से जमुई है।	प्रथम आपत्तिकर्ता श्री निवास कुमार सिंह के समय सारणी में टकराव के मध्य बिन्दु आढा एवं चौथी पाली में अलीगंज से आढा की दूरी तय करने में गति सीमा के उल्लंघन के बिन्दु पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
----	---	---	---	--	---	--

कार्यवाही संख्या - 02

पूर्व के प्राधिकार की बैठक दिनांक-08.12.2023, 06.01.2024 एवं 09.02.2024 में लंबित संशोधित समय सारणी प्राप्त आवेदन

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा दिनांक-08.12.2023, 06.01.2024 एवं 09.02.2024 में लंबित संशोधित समय सारणी प्राप्त कुल 14 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। जाँचोपरान्त ही प्रस्ताव उपस्थापित किए गए हैं। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिए गए, जो कॉलम 7 में अंकित है:-

क्र0 सं0	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं0/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
16	श्री सुधीर कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय।	BR09L-0101 BUS (2012) 37 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3015 अलौली से बेगूसराय भाया- सहसी, हरिपुर, आशापोखर, बखरी, मंझौल ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-09.04.24 फिटनेश-30.07.24 बीमा-07.02.24 प्रदूषण-04.09.24	1. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0-BR01PF-4872 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बखरी 12.58 13.03 आवेदनकर्ता और आपत्तिकर्ता दोनों वाहन का समय सारणी बखरी मुख्य बिन्दू पर मात्र 5 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।	आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मध्य बिन्दु में टकराव नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

11.03.24

10	श्रीमती रेणु सिंह, श्री शंभु सिंह पति - श्री शंभु सिंह पता-महिसौड़ी जिला-जमुई।	BR46P-5350 BUS (2018) 42 seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-2999 चकाई से मुंगेर। भाया- सोनो, मागोबन्दर, खैरा मोड़, जमुई, मल्लेपुर, लक्ष्मीपुर गंगटा, खडगपुर। ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-25.04.24 फिटनेश-29.11.24 बीमा-25.12.24 प्रदूषण-28.11.24	आपत्तिकर्ता श्री सुभाष कुमार सिंह वाहन सं0-BR46B-5211 का कहना है कि आवेदनकर्ता के वाहन सं0 BR46B-6981 पर टैक्स बकाया है। 06.05.2015 से वाहन स्वामी रेणु देवी उपरोक्त वाहन का टैक्स जमा नहीं किये है। टैक्स डिफाल्टर को परमिट नहीं दिया जा सकता है। आपत्तिकर्ता सुभाष कुमार सिंह के वाहन सं0 BR46B-5211 के समय सारणी के मुख्य बिन्दू पर 10 मिनट तथा मध्य बिन्दू के प्रत्येक समय सारणी पर आवेदनकर्ता परेशान करने की नियत से 5 मिनट का अन्तराल पर प्रस्तावित समय सारणी दिये है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग चकाई से मुंगेर है।	आवेदनकर्ता के वाहन सं0 BR46B-6981 पर टैक्स बकाया है। समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है। आवेदनकर्ता के पुत्र द्वारा बैठक में आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर टैक्स का भुगतान उनके द्वारा कर दिया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता एक सप्ताह के अन्दर टैक्स का भुगतान संबंधी साक्ष्य कार्यालय में समर्पित करते हैं, तो परमिट आवेदन स्वीकृत समझा जायेगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
11	श्री चंचल कुमार पिता - श्री सुधीर सिंह पता-हसनपुर, पोस्ट-महिसोना, जिला-लखीसराय।	BR53A-4768 BUS (2012) 41 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3089 शेखपुरा से लखीसराय भाया- गिरिहिन्डा ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-02.06.24 फिटनेश-10.11.24 बीमा-23.02.25 प्रदूषण-29.10.24	अप्राप्त	वाहन की 15 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से कराने का शपथ पत्र समर्पित करने के शर्त पर परमिट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।
12	श्री गोपाल कुमार पिता-श्री अनिल प्रसाद सिंह पता- महावीर टोला, नौनीहाट, जरमुंडी, जिला-दुमका।	BR33PA-3951 BUS (2019) 42 seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229 लखीसराय से सिकन्दरा। भाया- रामगढ़, हलसी। ट्रिप-08 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-01.04.24 फिटनेश-13.03.25 बीमा-19.12.24 प्रदूषण-08.12.24	अप्राप्त	
13	श्रीमती मीनू देवी पति- श्री पिकेश कुमार सिंह पता- चाणक्य नगर, जिला-बेगूसराय।	BR09PA-6784 BUS (2021) 43 seat मानदंड BS-VI	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबेला, नयागाँव, परबत्ता, मड़ेया, जमालपुर, महेशखूट, मानसी, खगड़िया, बलिया। ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-07.04.24 फिटनेश-05.10.25 बीमा-23.09.24 प्रदूषण-16.04.24	आपत्तिकर्ता श्री रंजीत कुमार वाहन सं0-BR09R-0110 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है - आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय 15.49 15.54 बलिया 16.30 16.35 खगड़िया 17.21 17.20 मानसी 17.35 17.40 वाहन स्वामी के द्वारा मार्ग में गति सीमा का भी उल्लंघन है। अगुवानी से परबत्ता आने एवं जाने एक ही मार्ग है जो 17 कि०मी० की दूरी 20 मिनट में तय करती है। आवेदनकर्ता का मार्ग अगुवानी से बेगूसराय है। आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रो० स्टेशन है।	आपत्तिकर्ता के वाहन से मध्य बिन्दु खगड़िया में टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
14	श्री विनय कुमार पिता- कैलाश सिंह पता- मोहनपुर, जिला-बेगूसराय।	BR09H-5120 BUS (2010) 33 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3182 नारायणपीपर से बेगूसराय। भाया- कुम्भी, खँजहाँपुर, बरियारपुर, मंझौल। ट्रिप-6 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-05.05.24 फिटनेश-28.08.24 बीमा-1408.24 प्रदूषण-08.08.24	अप्राप्त	वाहन की 15 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से कराने का शपथ पत्र समर्पित करने के शर्त पर परमिट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

11-09-24
6

17	श्री नित्यानंद सिंह पिता -श्री रामधन सिंह पता-गोरगामा, नयागांव जिला-बेगूसराय।	BR09M-0101 BUS (2012) 37 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3001 शहरबन्नी से बेगूसराय भाया-ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी, मंझौल। ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-11.04.24 फिटनेश-29.10.24 बीमा-29.10.24 प्रदूषण-08.10.24	अप्राप्त	टंकण भूल वश कार्यावली में वाहन सं0 BR09M-0101 के स्थान पर वाहन सं0 BR09M-0110 अंकित हो गया था, जिसे बैठक से पूर्व संशोधित कर दिया गया है। समय सारणी पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
18	श्री अजीत कुमार पिता -श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नावकोठी, जिला-बेगूसराय।	BR34P-0110 BUS (2012) 36 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय भाया- भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूट, मानसी, खगड़िया, बलिया। ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-03.05.24 फिटनेश-14.09.24 बीमा-17.03.24 प्रदूषण-03.09.24	1. आपत्तिकर्ता श्री अंकज कुमार वाहन सं0-BR09PA-6805 का कहना है कि आवेदनकर्ता मानसी से 17.18 में प्रस्थान कर महेशखूट 17.32 में आगमन करते हैं। मानसी से महेशखूट की 11 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में तय कर रहे हैं। आवेदनकर्ता नारायणपुर से 18.20 में प्रस्थान कर थाना बिहपुर 18.32 में आगमन करते हैं। आवेदनकर्ता नारायणपुर से बिहपुर की दूरी 10 किलोमीटर 12 मिनट में तय कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में गति सीमा 40 किलोमीटर है। आवेदनकर्ता गति सीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे हैं। नौगछिया जीरोमाईल से भागलपुर जीरोमाईल की दूरी 17 किलोमीटर आवेदनकर्ता 20 मिनट में तय कर रहे हैं। भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल के बीच गंगा नदी पर पूल है। 2. आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वाहन सं0-BR09M-3866 का कहना है कि उक्त निजी बसों का परमिट निर्गत हेतु निजी वाहन स्वामी के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसका समय सारणी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निबंधित वाहनों के समय सारणी से टकरावपूर्ण है, जो निगमहित में उचित प्रतीत नहीं है। विदित हो कि दिनांक-09.02.2024 को भी प्राधिकार के बैठक में निगम द्वारा इन गाड़ियों के समय सारणी पर आपत्ति दर्ज कराया गया था। जिसमें प्राधिकार द्वारा इन्हें नए समय सारणी को संशोधन करते हुए आवेदन करने का आदेश दिया गया था वर्तमान में प्रारंभिक बिन्दू पर 05 मिनट पहले और अन्य पड़ावों पर 1 से 2 मिनट का अंतराल है। आवेदनकर्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। दोनों आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।	समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं होने के कारण परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बुलबुल देवी
पति- श्री विनीत कुमार
पता- पहसारा, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय।

BR09PA-8535
BUS (2023)
41 seat
मानदंड BS-VI

प्रकाशन-28.02.24
अधिसूचित मार्ग संख्या-3225
भागलपुर रेलवे स्टेटो से बेगूसराय।
भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूट, मानसी, खगडिया, बलिया जी।
ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)

टैक्स-18.03.24
फिटनेश-17.12.25
बीमा-14.09.24
प्रदूषण-नई वाहन

1. आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार वाहन सं0-BR10P-7279 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है
आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बलिया 19.30 19.33
बलिया में दोनों वाहन के समय सारणी में मात्र तीन मिनट का अन्तराल है।

आवेदनकर्ता भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर दो अप दो डाउन परिचालन के लिए आवेदन किये। दिनांक-09.02.2024 के प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया था कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर चार पाली में वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से होने की जाँच के उपरान्त परमिट निर्गत की जायेगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय चार पाली की कुल दूरी 548 किलोमीटर है। किसी भी वाहन का भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय चार पाली में परिचालन नहीं हो रहा है। भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल की दूरी 17 किलोमीटर आवेदनकर्ता 20 मिनट में तय कर रहे हैं। भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल के बीच गंगा नदी पर पूल है।

2. आपत्तिकर्ता श्री यादवेन्दु कुमार वाहन सं0-BR43P-9324 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है
आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता भागलपुर रे0 स्टे0 06.23 06.30
भागलपुर जीरो0 06.55 06.50
बिहपुर 07.45 07.55
भागलपुर रेलवे स्टेशन पर मात्र 7 मिनट का आगे एवं भागलपुर जीरोमाईल में 5 मिनट पीछे हो जाता है एवं बिहपुर में मेरे गाड़ी से आगे हो जाती है। इसी तरह भागलपुर से महेशखूट तक कमी आगे कमी पीछे होते हुए सभी पैसेन्जर को उठा लेता है।

3. आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वाहन सं0-BR09M-6807 का कहना है कि उक्त निजी बसों का परमिट निर्गत हेतु निजी वाहन स्वामी के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसका समय सारणी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निबंधित वाहनों के समय सारणी से टकरावपूर्ण है, जो निगमहित में उचित प्रतीत नहीं है। विदित हो कि दिनांक-09.02.2024 को भी प्राधिकार के बैठक में निगम द्वारा इन गाड़ियों के समय सारणी पर आपत्ति दर्ज कराया

प्रथम आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार के समय सारणी से मध्य बिन्दु बलिया में टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के समय सारणी से कोई टकराव नहीं है। तृतीय आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन सं0 BR09M-6807 की परमिट की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतएव द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्ता की आपत्ति मान्य नहीं है। जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-920, दिनांक-06.03.2024 के अनुसार बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 128 किलोमीटर है तथा 0 से 5 वर्ष के अन्दर निबंधित वाहन को असीमित परिचालन की अनुमति है।

आवेदक को प्रथम आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मध्य बिन्दु बलिया में टकराव के कारण संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

					<p>गया था। जिसमें प्राधिकार द्वारा इन्हें नए समय सारणी को संशोधन करते हुए आवेदन करने का आदेश दिया गया था वर्तमान में प्रारंभिक बिन्दू पर 05 मिनट पहले और अन्य पड़ावों पर 1 से 2 मिनट का अंतराल है।</p> <p>आवेदनकर्ता एवं तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग अगुआनी से बेगूसराय है। द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग अमरपुर से सहरसा है।</p>													
20	<p>श्रीमती विनीता कुमारी पति- श्री रंजीत कुमार पता- पहसारा, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय।</p>	<p>BR09PA-8536 BUS (2023) 41 seat मानदंड BS-VI</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रेलवे स्टेटो से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरो, नौगछिया जीरो, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसरहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया जी। ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)</p>	<p>टेक्स-18.03.24 फिटनेश-17.12.25 बीमा-14.09.24 प्रदूषण-नई वाहन</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार वाहन सं0-BR10P-7279 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>बेगूसराय 20.25</td> <td>20.20</td> </tr> <tr> <td>बलिया 21.00</td> <td>21.00</td> </tr> </table> <p>आवेदनकर्ता तथा आपत्तिकर्ता के समय सारणी मुख्य बिन्दू पर बेगूसराय में मात्र पाँच मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर दो अप दो डाउन परिचालन के लिए आवेदन किये। दिनांक-09.02.2024 के प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया था कि भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर चार पाली में वाहनों का परिचालन सुचारु रूप से होने की जाँच के उपरान्त परमिट निर्गत की जायेगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय चार पाली की कुल दूरी 548 किलोमीटर है। किसी भी वाहन का भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय चार पाली में परिचालन नहीं हो रहा है। भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल की दूरी 17 किलोमीटर आवेदनकर्ता 20 मिनट में तय कर रहे हैं। भागलपुर जीरोमाईल से नौगछिया जीरोमाईल के बीच गंगा नदी पर पूल है।</p> <p>2. आपत्तिकर्ता श्री यादवेन्दु कुमार वाहन सं0-BR43H-5025 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है</p> <table border="1"> <tr> <td>आवेदनकर्ता</td> <td>आपत्तिकर्ता</td> </tr> <tr> <td>भागलपुर रे0 स्टे0 06.04</td> <td>06.05</td> </tr> <tr> <td>बिहपुर 07.22</td> <td>07.25</td> </tr> </table> <p>भागलपुर रेलवे स्टेशन मुख्य बिन्दू पर मात्र 1 मिनट का आगे एवं बिहपुर में मात्र 3 मिनट आगे परमिट का आवेदन किया है। इसी तरह भागलपुर से महेशखूंट तक कभी आगे कभी पीछे होते हुए सभी पैसेन्जर को उठा लेता है।</p>	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बेगूसराय 20.25	20.20	बलिया 21.00	21.00	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	भागलपुर रे0 स्टे0 06.04	06.05	बिहपुर 07.22	07.25	<p>आवेदक को प्रथम एवं द्वितीय दोनों आपत्तिकर्ताओं के समय सारणी में टकराव के बिन्दुओं पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p>
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बेगूसराय 20.25	20.20																	
बलिया 21.00	21.00																	
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
भागलपुर रे0 स्टे0 06.04	06.05																	
बिहपुर 07.22	07.25																	

					<p>3. आपत्तिकर्ता बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वाहन सं0-BR09M-3866 का कहना है कि उक्त निजी बसों का परमिट निर्गत हेतु निजी वाहन स्वामी के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसका समय सारणी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निबंधित वाहनों के समय सारणी से टकरावपूर्ण है, जो निगमहित में उचित प्रतीत नहीं है। विदित हो कि दिनांक-09.02.2024 को भी प्राधिकार के बैठक में निगम द्वारा इन गाड़ियों के समय सारणी पर आपत्ति दर्ज कराया गया था। जिसमें प्राधिकार द्वारा इन्हें नए समय सारणी को संशोधन करते हुए आवेदन करने का आदेश दिया गया था वर्तमान में प्रारंभिक बिन्दू पर 05 मिनट पहले और अन्य पड़ावों पर 1 से 2 मिनट का अंतराल है।</p> <p>आवेदनकर्ता का मार्ग भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है। प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग अगुआनी से बेगूसराय है। द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग अमरपुर से सहरसा है एवं तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर है।</p>	
21	श्रीमती सीमा देवी पति-श्री सुमीत कुमार पता-पहसारा, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय।	BR09H-2969 BUS (2010) 41 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3001 बेगूसराय से शहरबन्नी भाया-मंझौल, बखरी, आशापोखर, हरिपुर, ज्वालापुर चौक, ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-25.05.24 फिटनेश-26.09.24 बीमा-13.01.25 प्रदूषण-03.09.24	<p>आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0-BR01PF-4872 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बखरी 07.50 07.55</p> <p>आवेदनकर्ता बेगूसराय से शहरबन्नी है। आपत्तिकर्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है।</p>	आपत्तिकर्ता के मध्य बिन्दू बखरी में समय सारणी का टकराव नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
22	श्री रंजन कुमार सिंह, पिता-शम्भू प्रसाद सिंह पता-महिसौदी, नियर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जिला-जमुई।	BR46P-8081 BUS (2019) 42 seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3172 जमुई रेलवे स्टे0 मलयपुर से आढा भाया- महसौरी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, ट्रिप-06 (03 अप 03डाउन)	टैक्स-04.04.24 फिटनेश-09.08.25 बीमा-25.12.24 प्रदूषण-26.02.24	<p>आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं0-BR27P-4953 का कहना है कि आवेदनकर्ता अपने वाहन सं0-BR46P-8081 के परमिट के लिए आवेदन किये थे। आवेदनकर्ता का आवेदन दिनांक-06.01.2024 की बैठक में गति सीमा का उल्लंघन तथा समय सारणी का टकराव रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदनकर्ता नया आवेदन नहीं करके संशोधित समय सारणी अपने उपरोक्त वाहन का किये हैं। जिसे 09.02.2024 की बैठक में विचार हेतु रखा गया। दिनांक-09.02.2024 की बैठक में आवेदक को पुनः संशोधित समय सारणी देने का आदेश दिया गया। आवेदक का आवेदन दिनांक-06.01.2024 की बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदनकर्ता को नया आवेदन करना चाहिए था। संशोधित समय सारणी के आधार पर आवेदनकर्ता</p>	समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

					को परमिट निर्गत नहीं किया जा सकता है।	
					आवेदनकर्ता जमुई रेलवे स्टेशन से आढ़ा है। आपत्तिकर्ता का मार्ग नवादा से सिकन्दरा है।	
23	श्री राजीव कुमार सिंह, पिता-शम्भू प्रसाद सिंह पता-महिसौड़ी जिला-जमुई।	BR46A-8082 BUS (2011) 41 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलयपुर से आढ़ा भाया- महसौरी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, ट्रिप-06 (03 अप 03डाउन)	टैक्स-16.03.24 फिटनेश-05.04.24 बीमा-30.03.24 प्रदूषण-28.11.24	आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार वाहन सं0-BR27P-3852 का कहना है कि आवेदनकर्ता अपने वाहन सं0-BR46A-8082 के परमिट के लिए आवेदन किये थे। आवेदनकर्ता का आवेदन दिनांक-06.01.2024 की बैठक में गति सीमा का उल्लंघन तथा समय सारणी का टकराव रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदनकर्ता का आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद आवेदनकर्ता द्वारा वाहन सं0-BR46A-8082 संशोधित समय सारणी दिया गया है। आवेदक के संशोधित समय सारणी 09.02.2024 की बैठक में विचार हेतु रखा गया। आवेदक का आवेदन दिनांक-06.01.2024 की बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदनकर्ता को नया आवेदन करना चाहिए था। संशोधित समय सारणी के आधार पर आवेदनकर्ता को परमिट निर्गत नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग जमुई रे. स्टेशन मलयपुर से आढ़ा है।	समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
24	श्री रंजन कुमार सिंह पिता-श्री शम्भू प्रसाद सिंह पता-बसैया, जिला-जमुई।	BR46P-8181 BUS (2018) 42 seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 जमुई से बिहारशरीफ भाया-सिकन्दरा, शेखपुरा, बरबीघा। ट्रिप-02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-20.05.24 फिटनेश-27.11.24 बीमा-25.12.24 प्रदूषण-28.11.24	आपत्तिकर्ता श्री प्रकाश कुमार वाहन सं0-BR27P-0694 का कहना है कि आवेदनकर्ता अपने वाहन का बिहारशरीफ प्रारंभिक बिन्दु पर प्रस्थान 12.41 का प्रस्ताव दिये है, जबकि मेरा बिहारशरीफ प्रस्थान 12.45 में है। मात्र 4 मिनट का अन्तराल छोड़कर समय सारणी का प्रस्ताव दिये है। उक्त वाहन के समय सारणी में गति सीमा का उल्लंघन है। शेखपुरा से बरबीघा की दूरी 16 किलोमीटर मात्र 21 मिनट में तय कर रहे है। जबकि शहरी क्षेत्र में गति सीमा 10 कि0मी0 प्रतिघंटा है। आवेदनकर्ता का मार्ग जमुई से बिहारशरीफ है। आपत्तिकर्ता का मार्ग खैरा से मधुदा है।	आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मुख्य बिन्दु बिहारशरीफ में टकराव है। अतएव टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है, तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
25	श्री मुनीलाल साह पिता- स्व0 जानकी साह पता-महिसौड़ी चौक जिला-जमुई।	BR46A-7765 BUS (2010) 41 seat मानदंड BS-II	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011 मल्लपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया- महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, चन्द्रदीप। ट्रिप-06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-27.01.25 फिटनेश-27.11.24 बीमा-02.10.24 प्रदूषण-31.08.24	अप्राप्त	वाहन की 15 वर्ष आयु पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से कराने का शपथ पत्र समर्पित करने के शर्त पर परमिट स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। शपथ पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जायेगा।

11.03.24

26	<p>श्रीमती मीनाक्षी देवी पति-श्री अजय यादव पता-चुकती, मानसी, जिला-खगड़िया।</p>	<p>BR19C-9095 BUS (2011) 41 seat मानदंड BS-II</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 खगड़िया से आलमनगर भाया- महेशखूट, सोनवर्षाघाट, बेलदौर। ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)</p>	<p>टैक्स-13.05.24 फिटनेस-03.03.24 बीमा-24.02.25 प्रदूषण-21.12.24</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री धर्मवीर सहनी वाहन सं0-BR34P-1673 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता खगड़िया 11.53 11.56 आवेदक द्वारा मुख्य बिन्दु पर 3 मिनट आगे तथा बेलदौर से सोनवर्षाघाट की 17 किलोमीटर 25 मिनट में तय करती है। वही सोनवर्षाघाट से महेशखूट 14 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय करती है। सोनवर्षाघाट से बेलदौर 17 किलोमीटर की दूरी 13 मिनट में तय करती है। जो गति सीमा का उल्लंघन है। 2. आपत्तिकर्ता श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी वाहन सं0-BR11PA-9418 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आलमनगर 15.17 15.19 आवेदक द्वारा मेरे समय सारणी से मात्र दो मिनट आगे मुख्य बिन्दु पर आवेदन किया गया है। जबकि इससे पहले बैठक में भी मेरा समय सारणी 15.19 ही था। वही सोनवर्षाघाट से महेशखूट 14 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय करती है। बेलदौर से सोनवर्षाघाट की 17 किलोमीटर 25 मिनट में तय करती है। सोनवर्षाघाट से बेलदौर 17 किलोमीटर की दूरी 13 मिनट में तय करती है। जो गति सीमा का उल्लंघन है। आवेदनकर्ता एवं दोनों आपत्तिकर्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।</p>	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मुख्य बिन्दु खगड़िया में टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी का परमिट आवेदन पूर्व से इस प्राधिकार में लंबित है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के आवेदन पर निर्णय के उपरान्त ही इस आवेदन पर विचार किया जायेगा।</p>
27	<p>श्री आशुतोष चन्द्र चौधरी पिता-श्री गणेश चौधरी पता-कुरसंडी, जिला-मधेपुरा।</p>	<p>BR11PA-9418 BUS (2016) 42 seat मानदंड BS-III</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 आलमनगर से खगड़िया। भाया- बेलदौर, सोनवर्षाघाट, महेशखूट। ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)</p>	<p>टैक्स-19.03.24 फिटनेस-09.01.26 बीमा-01.11.24 प्रदूषण-11.03.24</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता श्री अजय कुमार वाहन सं0-BR10PA-7790 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आलमनगर 15.19 15.10 आवेदनकर्ता खगड़िया से 09.20 में प्रस्थान करती है। जबकि BR19P-9018 का का समय खगड़िया से 09.22 में प्रस्थान करती है। BR09PA-9218 मध्य बिन्दु महेशखूट 10.22 है मात्र 3 मिनट का अंतर महेशखूट में 10.25 आवेदन किया गया है। प्रथम पाली में खगड़िया से महेशखूट 18 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में एवं दूसरी पाली में खगड़िया से महेशखूट की दूरी 30 मिनट में तय करती है। दोनों में बहुत भिन्नता है। 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती मीनाक्षी देवी वाहन सं0-BR19C-9095 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय सारणी में मेरे आवेदन को देखते हुए मुख्य बिन्दु</p>	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता के समय सारणी के मुख्य बिन्दु आलमनगर में टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्ता को परमिट प्राप्त नहीं है। अतएव प्रथम आपत्तिकर्ता के साथ टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु आवेदक को एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p>

11.03.24

				<p>पर दो मिनट पीछे आवेदन कर जानबुझकर किया गया और रास्ते में ओभरटेक कर विधि व्यवस्था को तनाव पूर्ण कर देते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता आलमनगर 15.19 15.17 इनके प्रस्तावित समय सारणी में भिन्नता है खगड़िया से महेशखूंट पर प्रथम पाली में 50 मिनट 18 किलोमीटर खगड़िया से महेशखूंट पर दूसरा पाली में 30 मिनट 18 किलोमीटर BR19P-9018 का का समय खगड़िया मुख्य बिन्दू 09.22 BR09PA-9218 मध्य बिन्दू महेशखूंट मध्य बिन्दू 10.22</p> <p>आवेदनकर्ता का मार्ग आलमनगर से खगड़िया है। दोनों आपत्तिकर्ता का मार्ग खगड़िया से आलमनगर है।</p>	
28	<p>श्री अविनाश कुमार पिता- श्री बच्चू सिंह पता- पतालपुरी, मंदिर, न्यू एरिया, गोंडापुर, जिला-नवादा।</p>	<p>BR27P-6753 BUS (2024) 45 seat मानदंड BS-VI</p>	<p>प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3075 मल्लेपुर स्टेशन से नवादा। भाया-मसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज, आढा, पकरीबरावां ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)</p>	<p>टैक्स-12.04.24 फिटनेश-12.01.26 बीमा-27.12.24 प्रदूषण-12.01.25</p> <p>1. आपत्तिकर्ता श्री निवास कुमार सिंह वाहन सं0-BR46P-9095 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता नवादा 16.14 16.18 अलीगंज 17.40 17.40 सिकन्दरा 18.20 18.20 नवादा मुख्य बिन्दू पर दोनों वाहन के समय सारणी में चार मिनट एवं अलीगंज, सिकन्दरा में सेम समय सारणी है। 2. आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह वाहन सं0-BR46P-8081 का कहना है कि आवेदनकर्ता के प्रस्तावित समय सारणी में मेरे आवेदन को देखते हुए मुख्य बिन्दू पर दो मिनट पीछे आवेदन कर जानबुझकर किया गया और रास्ते में ओभरटेक कर विधि व्यवस्था को तनाव पूर्ण कर देते हैं। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता महिसौड़ी चौक 03.02 03.00 दोनों वाहन के समय सारणी के मध्य बिन्दू पर मात्र दो मिनट का अन्तराल है। प्रथम पाली में पकरीबराबां से नवादा 40 मिनट में, दूसरा पाली में पकरीबराबां से नवादा 45 मिनट में, प्रथम पाली में आढा से पकरीबराबां 10 मिनट में, दूसरा पाली में पकरीबराबां से आढा 15 मिनट में, प्रथम पाली में आढा से अलीगंज 15 मिनट में, दूसरा पाली में आढा से अलीगंज 10 मिनट में, वाहन स्वामी गति सीमा का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन कर रहे है। आपत्तिकर्ता का आवेदन लंबित है। मेरे लंबित आवेदन को देखकर आवेदनकर्ता आवेदन किये है। आवेदनकर्ता का मार्ग मल्लेपुर स्टेशन से नवादा है। प्रथम</p>	<p>प्रथम आपत्तिकर्ता के समय सारणी से टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्ता के परमिट आवेदन को क्रमांक-22 पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। द्वितीय आपत्तिकर्ता को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर परमिट का उठाव कर लें अन्यथा उनकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं मानी जायेगी। आवेदनकर्ता को दोनों आपत्तिकर्ता से टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।</p>

11-02-24

					आपत्तिकर्ता का मार्ग जमुई स्टेशन से नवादा है। द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग जमुई रेलवे स्टेशन से आढ़ा है।	
29	श्री मुक्ति नाथ पिता-श्री रामचन्द्र सिंह पता-पनहास, लोहियानगर जिला-बेगूसराय।	BR09PA-8807 BUS (2017) 37 seat मानदंड BS-III	प्रकाशन-28.02.24 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 अगुआनी से बेगूसराय। भाया-कबेला, नयागांव, परबत्ता, मडैया, जमालपुर महेशखुंट, मानसी, खगड़िया। ट्रिप-04 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-20.04.24 फिटनेश-23.01.26 बीमा-26.11.24 प्रदूषण-27.07.24	आपत्तिकर्ता श्री आशीष कुमार रंजन वाहन सं0-BR09GB-9009 का कहना है कि आवेदनकर्ता के समय सारणी में निम्न टकराव है आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय 16.25 16.23 बलिया 17.00 17.00 खगड़िया 17.56 18.00	आपत्तिकर्ता के समय सारणी से टकराव है। अतएव आपत्तिकर्ता से टकराव के बिन्दू पर संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु आवेदक को एक मौका दिया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार किया जायेगा। यदि आवेदनकर्ता अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करते हैं अथवा संशोधित समय सारणी में पुनः टकराव होता है तो परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

कार्यवाही संख्या - 03

स्कूल बस परमिट नवीकरण आवेदन प्राप्त आवेदन

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा स्टाफ बस एवं स्टाफ बस परमिट नवीकरण प्राप्त कुल 03 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण-पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। जाँचोपरान्त ही प्रस्ताव उपस्थापित किए गए हैं। सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जो कॉलम 6 में अंकित है:-

क्र० सं०	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार निर्णय
1	2	3	4	5	6
30	सरस्वती विद्या मंदिर प्रो०-प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह पता-पुरानीगंज, कासिम बाजार जिला-मुंगेर।	BR08P-1966 BUS (2013) 37 seat	(स्कूल बस परमिट)	टैक्स-21.02.25 फिटनेश-31.08.24 बीमा-13.03.24 प्रदूषण-22.11.24	स्वीकृत।
31	सरस्वती विद्या मंदिर प्रो०-प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह पता-पुरानीगंज, कासिम बाजार जिला-मुंगेर।	BR08P-0597 BUS (2009) 33 seat	(स्कूल बस परमिट)	टैक्स-30.11.24 फिटनेश-22.06.24 बीमा-11.01.25 प्रदूषण-22.05.24	स्वीकृत।
32	सरस्वती विद्या मंदिर प्रो०-प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह पता-पुरानीगंज, कासिम बाजार जिला-मुंगेर।	BR08P-3191 BUS (2016) 37 seat	(स्कूल बस परमिट)	टैक्स-26.01.25 फिटनेश-31.08.25 बीमा-13.03.24 प्रदूषण-21.11.24	स्वीकृत।
33	सरस्वती विद्या मंदिर प्रो०-प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार सिंह पता-पुरानीगंज, कासिम बाजार जिला-मुंगेर।	BR08P-0787 BUS (2010) 41 seat	(स्कूल बस परमिट)	टैक्स-31.10.24 फिटनेश-22.06.24 बीमा-11.01.25 प्रदूषण-21.11.24	स्वीकृत।

अन्यान्य


- सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर पूर्व से वांछित कागजातों के अतिरिक्त विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर, पेशाकर भुगतान से संबंधित साक्ष्य, पैन कार्ड जमाकर परमिट का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत वाहन की सघन जाँच करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी विडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्तों के अनुसार वाहन की बॉडी के प्रवेश द्वार पर (बाहरी भाग) 1½ फीट X 2 फीट आकार में वाहन स्वामी का नाम एवं पता, चालक का नाम, अनुज्ञापति संख्या, परमिट संख्या, उसकी वैधता, मार्ग संख्या भाया सहित समय सारणी एवं वाहन के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
4. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके जिला में निबंधित वाहन, जिसे इस प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया गया है, द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करने वाले एवं अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों की सूची तथा अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय में समर्पित करेंगे।
5. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल को आदेश दिया जाता है कि वे परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में ओवरलोडिंग एवं बिना परमिट के तथा बिना टैक्स भुगतान किये अवैध रूप से परिचालित वाहनों की सघन जाँच करते हुए किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर उक्त वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को भेजते हुए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी यह जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि जितने परमिट निर्गत किये गये हैं, उक्त वाहन ऑन रोड संचालित है या नहीं। जाँचोपरान्त जो भी वाहन ऑफ रोड पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध तुरंत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन इस प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल को निदेशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 (पन्द्रह) वर्ष पुराने सभी वाहन, जिनको इस प्राधिकार से परमिट प्राप्त है, का परिचालन विभागीय निदेशानुसार 100 कि०मी० (एक सौ किलोमीटर) तक ही सीमित हो। यदि किसी वाहन द्वारा इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उक्त वाहन का परमिट रद्द कर संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध अन्य सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
8. सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने वाहन, जिनकी आयु 15 (पन्द्रह) वर्ष हो चुकी है, वे उक्त वाहन के 15 (पन्द्रह) वर्ष पूर्ण होने की अवधि के तीन माह के अन्दर अपने परमिट का प्रतिस्थापन नये उच्च मॉडल के वाहन से कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. सभी वाहन मालिक को निदेश दिया जाता है कि वे अपने वाहन के परमिट की अवधि की समाप्ति के तीन माह के अन्दर परमिट का नवीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. सभी वाहन मालिक को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर वे अपने वाहन की ऑफलाइन परमिट की प्रविष्टि ऑनलाइन अधिसूचित मार्ग के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. समय सारणी में टकराव की स्थिति में टकराव के बिन्दु पर अगली बैठक में समर्पित करने हेतु आवेदनकर्ता/ वाहन स्वामी को मात्र एक मौका दिया जायेगा। अगली बैठक में संशोधित समय सारणी समर्पित नहीं करने अथवा टकराव के बिन्दु पर पुनः आपत्ति प्राप्त होने पर उक्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। साथ ही सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि संशोधित समय सारणी में पूर्व के टकराव के बिन्दु से संबंधित समर्पित आपत्ति पर ही विचार किया जायेगा।
12. सभी विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक कार्यदिवस पूर्व वाहन स्वामी से संबंधित वकालतनामा कार्यालय में समर्पित करेंगे।
13. सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि अपने वाहन में VLTD सक्रिय करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा परमिट निर्गत नहीं किया जायेगा।


11-03-17

14. आवेदन ऑनलाईन करने का समय तीन दिन, आवेदन कार्यालय में जमा करने का दो दिन एवं आपत्ति देने का समय तीन दिन निर्धारित किया जाता है, जिसकी तिथि बैठक के कार्यक्रम की सूचना में प्रकाशित की जायेगी।
15. परमिट हेतु समर्पित सभी आवेदनों को एक पंजी में तिथि/समय के अनुसार क्रमबद्ध संघारित किया जायेगा। पूर्व में प्राप्त समर्पित आवेदनों को निष्पादन में प्राथमिकता दी जायेगी।


11.03.24
प्रशाखी पदाधिकारी,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


11/3/24
अपर समाहर्ता-सह-सदस्य
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


11/3/24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।


11/3/24
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।